AB

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/06/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 14.01.2019

श्री छोटू सिंह पिता दीनसिंह शेखावत निवासी करणीमाता का खेड़ा, चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 05.02.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.10.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 06/2019/(05.02)/34 दिनांक 14.01.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 05.02.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 05.02.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचनाऐं दिलाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 06/2019 (सू.अ.)
श्री छोटू सिंह शेखावत निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/निर्वा/2019/169 दिनांक 04.02.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये कि अपील आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की वांछित नकलें विधान सभा आम चुनाव, 2018 में व्यस्त रहने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी है। वांछित रेकॉर्ड का बस्ता कार्यालय के रेकॉर्ड रूम में तलाश करवाया जा रहा है। रेकॉर्ड प्राप्त होते ही तुरन्त आवेदक को नकलें उपलब्ध करवा दी जावेगी।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/निर्वा/2019/169 दिनांक 04.02.19 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया।

चूंकि सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर सूचनाऐं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं 15 दिवस की अवधि में निः शुल्क उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./06/2019(सू.अ.)/85 दिनांकः– 11/02/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री छोटूसिंह पिता दीनसिंह शेखावत निवासी करणीमाता का खेड़ा, महिला पुलिस थाने के सामने, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official